सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

दिनांक : 1 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान अधिक समय तक रूके रहना ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि में पांचवे वर्ष से आगे किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं है । इसके अतिरिक्त दिनांक 29 नवंबर 2006 के का.ज्ञा. संख्या 14017/30/2006-स्था. (आरआर) के अनुसार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तारीख को कार्य मुक्त माना जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ने सभी अनुमोदनों के साथ इसकी समाप्ति की अवधि से पहले ही लिखित में प्रतिनियुक्ति अवधि नहीं बढ़ाई हो । यह देखा गया है कि इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी इस विभाग में, पांच वर्षों की अवधि से आगे प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी के अधिक ठहरने के नियमितीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं । यह दोहराया जाता है कि यह सुनिश्चित करना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिनियुक्त अधिकारी अधिक समय तक न ठहरे । यदि अधिकारी, किसी भी कारण से समय से अधिक रूके रहता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई तथा अन्य प्रतिकूल सिविल/सेवा परिणाम जिसमें पेंशन की संगणना हेतु अनधिकृत रूप से रूकने की अवधि तथा अनधिकृत रूप से रूकने की अवधि के दौरान देय वेतन-वृद्धियों को संकलित प्रभाव से उसके मूल संवर्ग में पुन: कार्यभार संभालने की तारीख तक अस्थगित करना शामिल है, के लिए जिम्मेदार होगा ।

2. सभी मंत्रालय/विभाग कृपया नोट कर ले कि अब से प्रतिनियुक्ति को समयावधि से अधिक समय तक नियमित करने हेतु कोई कार्योत्तर मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी ।

(मुकेश चतुर्वेदी)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार के सभी मुख्य सचिव
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली

6. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
10. केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली
11. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय
2. स्थापना अधिकारी तथा सचिव, ए सी सी (10 प्रतियां)
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सभी कर्मचारी सदस्य
6. विभागीय परिषद (जेसीएम) के सभी कर्मचारी सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
7. राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र को प्रतिलिपि : कार्यालय ज्ञापन को विभागीय वेबसाइट पर "What's new" और "Establishment sub-head 'deputation" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु ।

(मुकेश चतुर्वेदी)
उप सचिव, भारत सरकार